संख्या-सम्बद्धता-453/सत्तर-2-2008-2(216)/2007

(3)

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 02 दिसम्बर, 2008

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः स्ववि0/सम्ब0/159(1)/2008/2042-43, दिनांक 11-09-2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन प्रीति रूरल इंस्टीट्यूट फार टैक्नोलॉजी एण्ड एजूकेशन, प्रीति विहार, भुता, विलासपुर रोड, बरेली को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र व राजनीतिशास्त्र) विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2008 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्व स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

(1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में विधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

(3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-सम्बद्धता-453(1)/सत्तर-2-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
(3) सचिव/प्रबन्धक, प्रीति रूरल इंस्टीट्यूट फार टैक्नोलॉजी एण्ड एजूकेशन, प्रीति विहार, भुता, विलासपुर रोड, बरेली।
(4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

प्रीति महाविद्यालय भुता-बरेली
प्रबन्धक

(4)

संख्या– सम्ब0–519/सत्तर–2–2011–2(519)/2011

प्रेषक,

सुरजन सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर सितम्बर, 2011

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः रू0वि0/सम्ब0/2011/4486–87, दिनांक 24–08–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन प्रीति रूरल इंस्टीटयूट फार टेक्नोलाजी एण्ड एजूकेशन, प्रीति विहार, भुता, बरेली को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास एवं राजनीतिशास्त्र) पाठ्यक्रम/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन इस शर्त के साथ कि प्रामूत की जमा धनराशि की समय सीमा समाप्त होने, गत वर्ष का परीक्षाफल न होने, शिक्षकों का बैंक खाते से भुगतान न होने, विश्वविद्यालय की प्रपत्र–ए पर संस्तुति न होने, प्राचार्य की नियुक्ति न होने, नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रमाण न होने का निराकरण महाविद्यालय द्वारा तीन माह में पूर्ण कर विश्वविद्यालय के माध्यम से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये उक्त अवधि तक कमियां पूर्ण न कराये जाने पर संबद्धता विस्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा, दिनांक 1–7–2011 से एक वर्ष का सम्बद्धता विस्तरण की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

(1) संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय– समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

महाविद्यालय अनु...

(5)

(5)

संख्या– 1912/सत्तर–2–2012–2(168)/2012

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊः दिनांक 23 अगस्त, 2012

विषयः–महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–रू0वि0/सम्ब0/2012/7035–36, दिनांक 4–06–2012 पत्रांक–रू0वि0/सम्ब0/2012/7248–49, दिनांक 10–07–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन प्रीति रूरल इंस्टीट्यूट फार टैक्नोलाजी एण्ड एजूकेशन, प्रीति विहार, भुता, बरेली को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एस0सी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं गणित) पाठ्यक्रम/विषय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1–7–2012 से तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती हैः–

(1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37 (2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

(3) संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

प्रीति महाविद्यालय भुता–बरेली
प्रबन्धक